

प्रेषक,

श्री एस० आर० लाखा

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभिकरण,

उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊ: दिनांक-4 जुलाई, 2000

विषय : जल प्रवाहित शौचालयों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का क्रय समाज कल्याण विभाग के समन्वय से स्थापित किये जा रहे "सेनेटरी मार्ट" से किया।

महोदय,

समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव के अद्व शासकीय पत्र संख्या-1325/का. नि. प्र./26.3.2000.20 (18)/2000 दिनांक 12.6.2000 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार की सेनेटरी मार्ट योजना के अधीन प्रदेश में सेनेटरी मार्ट स्थापित कराये जा रहे हैं। यह सेनेटरी मार्ट एक प्रकार से उत्पादन केन्द्र, दुकान एवं सेवा केन्द्र के रूप में चलाये जायेंगे। सेनेटरी मार्ट में शौचालयों में निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियाँ तथा स्वच्छता संबंधी सामग्रियाँ आदि उपलब्ध हैं। सेनेटरी मार्ट योजना मैला ढोले में लगे स्वच्छकारों व उनके आश्रितों को इस पेशे से मुक्त कर उत्पादन विपणन तथा सेवा सम्बन्धी कार्यों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर आधारित है।

2. इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22.6.2000 को हुई बैठक में लिय गये निर्णय के अनुपात में विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में दूड़ा इकाईयों के द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत जल प्रवाहित शौचालयों के निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों एवं स्वच्छता संबंधी सामग्रियों तथा फिनायल, ब्रश सेनेटरी टैंक, पिट कवर, साबुन, ट्वाइलेट ब्रश एवं ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का क्रय यथा सम्भव सेनेटरी मार्ट से ही किया जाये। इससे न केवल भारत सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना को साकार कर स्वच्छता पेशे में लगे लोगों को सेवायोजित करने में सहायता मिलेगी वरन् सही मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की सामग्री भी क्रय की जा सकेगी।

3. शासन के उपरोक्त आदेशों का गम्भीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(एस० आर० लाखा)

सचिव

सं0-2356(1)/69.1.2000-6 (एल) / 97 टी.सी. तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, म०० आवास एवं नगर विकास मंत्री जी।
4. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०।
5. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०।
6. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०।

भवदीय

(राम किशोर)

अनु सचिव